

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 30/2023

प्रार्थी/परिवादी

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थी/गैरसायल—

1. गणेश चौधरी पुत्र रामाराम, जाति जाट,  
निवासी भोजासर बायतु  
(मैसर्स विष्णु दूध डेयरी, बायतु  
चिमनजी) विक्रेता
2. सवाई सिंह पुत्र रामाराम, जाति जाट  
निवासी गोकलसर लूखू  
(मैसर्स विष्णु दूध डेयरी, बायतु  
चिमनजी) खाद्य अनुज्ञापत्रधारक
3. मूली देवी (मैसर्स विष्णु दूध डेयरी,  
बायतु चिमनजी) प्रोपराईटर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति:—

1. श्री अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रुघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से उपस्थित।

—:आदेश:—

दिनांक:— 20.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 की फर्म मैसर्स विष्णु दूध डेयरी, बायतु चिमनजी पर निरीक्षण दिनांक 30.04.20223 के दौरान आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ दही (फ्रिजर में रखा हुआ) में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार 800 एमएल पदार्थ नष्ट कर दिया गया। नमूना संख्या पी-2022 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह



खाद्य निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दही (फ्रिजर में रखा हुआ)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (फ्रिजर में रखा हुआ)** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./1236/Act/2023/1278 दिनांक 12.05.2023** में उक्त नमूना निम्न स्तर (Sub Standard) पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर **अप्रार्थीगण** को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व अप्रार्थी संख्या 03** स्वयं उपस्थित। **अधिवक्ता अप्रार्थीगण** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थीगण** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी संख्या 02** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./1236/Act/2023/1278 दिनांक 12.05.2023** में उक्त नमूना निम्न स्तर (Sub Standard) पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थीगण** की ओर से **अधिवक्ता अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03** स्वयं दौरान सुनवाई उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी संख्या 02** की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता से हुई है। अधिवक्ता **अधिवक्ता अप्रार्थीगण** ने उक्त नमूना निम्न स्तर (Sub Standard) पाये जाने के लिए प्रथम अपराध

नरम रुख अपनाया जाकर न्यूनतम जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी संख्या 02** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना निम्न स्तर



(Sub Standard) का पाया जाने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थीगण** के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03** पर संयुक्त रूप से **रुपये 5000/- अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थीगण** उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश दिनांक **20.08.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नानू राम सैनी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर